अध्याय VI

सामान्य

अध्याय–VI: सामान्य

6.1 लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा

राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 66 विभाग, 234 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची **परिशिष्ट 6.1** में दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व व्यय					
सामान्य सेवाएँ	39,203	43,450	54,364	56,186	60,144
सामाजिक सेवाएँ	49,371	53,064	65,687	68,313	74,009
आर्थिक सेवाएँ	38,565	49,327	46,722	51,986	44,156
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-##	-*	-**	-***	-****
योग	**1,27,139**	**1,45,841**	**1,66,773**	**1,76,485**	**1,78,309**
पूंजीगत एवं अन्य व्यय					
पूंजीगत परिव्यय	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	12,965	1,334	1,113	2,255	491
लोक ऋण की अदायगी	5,015	11,674	16,915	20,033	41,023
आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,48,885	1,47,088	1,60,570	1,79,741	1,99,229
योग	**1,83,845**	**1,80,719**	**1,98,236**	**2,16,747**	**2,56,014**
कुल योग	**3,10,984**	**3,26,560**	**3,65,009**	**3,93,232**	**4,34,323**

स्रोत : राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

₹ 6 लाख मात्र, * ₹ 11 लाख मात्र, ** ₹ 9 लाख मात्र, *** ₹ 7 लाख मात्र, **** ₹ 7 लाख मात्र

6.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 एवं 17 के अंतर्गत प्राप्त है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम, 2007, 2020 में यथा संशोधित तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

6.3 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है । वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाइयों की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई ।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है । जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है । इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं ।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं । इकाइयों/विभागों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर, जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है । जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है । इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 699 इकाइयों (24,258 में से) की लेखापरीक्षा लिए 16,537 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किए गए । लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाइयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी ।

6.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

6.4.1 प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है । यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुए, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाए । तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया ।

अध्याय VII में सम्मलित 14 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में से तीन पर सम्बंधित विभागों ने प्रत्युत्तर नहीं भेजा था। सम्बंधित विभागों की प्राप्त हो चुकी प्रतिक्रिया प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर ली गई है।

6.4.2 परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327(1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है, का प्रावधान करता है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरुप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका। सितम्बर 2021 को वर्ष 2003-04 से 2020-21 की अवधि के दौरान जारी 7,864 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 33,715 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या **तालिका 6.2** में दर्शायी गई है।

तालिका 6.2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2013-14 तक	3,516	9,889
2014-15	742	2,262
2015-16	749	3,026
2016-17	649	3,044
2017-18	390	2,382
2018-19	625	4,002
2019-20	797	6,109
2020-21	396	3,001
योग	**7,864**	**33,715**

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किए थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाना था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए अनुच्छेदों पर प्रत्युत्तर के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिए तीन विभागों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। विधि एवं विधिक कार्य विभाग (236 निरीक्षण प्रतिवेदन), पशुपालन विभाग (83 निरीक्षण प्रतिवेदन) तथा उच्च शिक्षा विभाग (415 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण मे ज्ञात हुआ कि 30 सितम्बर 2021 को 734 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 3,003 अनुच्छेद (उप अनुच्छेद सहित) बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 6.2** में दिया गया है। आगे, यह भी देखा गया कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग, पशुपालन विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के 210 निरीक्षण

प्रतिवेदनों[1] के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जानी चाहिए, 50 माह की औसत देरी के साथ (1 माह से 204 माह तक) प्राप्त हुई।

सरकार को मामले को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) समयानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन अनुच्छेदों का जवाब न भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें (ब) समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही करें और (स) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित व उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करें।

6.5 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय VII में प्रतिवेदित किये गये हैं।

6.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निर्णय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ (एक्शन टेकन नोट्स), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जनलेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के व्यय क्षेत्र (पूर्ववर्ती सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 75 अनुच्छेद (आठ निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 30 मार्च 2017 तथा 14 सितम्बर 2021 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से, इनमें से 16 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ निर्धारित समय पर प्राप्त हो गई एवं 51 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन तीन से चार माह के विलम्ब से प्राप्त हुई। 8 अनुच्छेदों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20) पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ लम्बित थीं (जनवरी 2022)।

जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 39 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और इन 39 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को मार्च 2021 तक 29 जनलेखा समिति प्रतिवेदनों (19 विभागों से संबंधित) में सम्मिलित किया गया।

1 कुल 210 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिनमें प्रथम अनुपालना देरी से प्राप्त हुई-विधि एवं विधिक कार्य विभागः 92 नि.प्र. (10 से 204 माह), पशुपालन विभागः 82 नि.प्र. (01 से 65 माह) एवं उच्च शिक्षा विभागः 36 नि.प्र. (04 से 151 माह)।